<u>प्रेस नोट</u> **दिनांक 27.08.2020**

tuin ckxir iqfyl dk ljkguh; dk;Z

- **जनपद बागपत साईबर सैल टीम द्वारा ऑनलाईन धोखाधडी का षिकार हुए 07 लोगों के 02 लाख 52 हजार 516 रूपये उनके बैंक खातो में वापस कराये।**

ऑनलाईन धोखाधडी के पीडित 1–रणवीर पुत्र रामरतन प्रिन्सपल वनस्थली पब्लिक स्कूल बडौत के साथ दिनांक 10.08.2020 में ऑनलाईन ठगी कर 21 हजार 382 रूपये, 2–एडवोकेट सचिन कुमार पुत्र अषोक कुमार निवासी कस्बा व थाना बागपत के साथ दिनांक 24.07.2020 में ऑनलाईन ठगी कर 1250 रूपये, 3–देवेन्द्र सिंह पुत्र नेमसिंह निवासी ग्राम बसा टीकरी थाना बागपत के साथ दिनांक 03.07.2020 में ऑनलाईन ठगी कर 01 लाख 18 हजार 500 रूपये, 4–राहुल पुनिया पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम सादिकपुर सिनौली थाना छपरौली के साथ दिनांक 04.08.2020 में ऑनलाईन ठगी कर 30 हजार रूपये, 5–अमित कुमार पुत्र ओमपाल सिंह निवासी गुंराना रोड कस्बा व थाना बडौत के साथ दिनांक 23.07.2020 में ऑनलाईन ठगी कर 20 हजार 399 रूपये, 6–नीरज कुमार पुत्र राजसिंह निवासी ग्राम सिरसलगढ थाना बिनौली के साथ दिनांक 26.06.2020 में ऑनलाईन ठगी कर 46 हजार 870 रूपये, 7–प्रवीण कुामर पुत्र षिवकुमार निवासी सूरजपुर महनवां थाना बागपत के साथ दिनांक 13.05.2020 में ऑनलाईन ठगी कर 24 हजार 999 रूपये के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बागपत को षिकायती प्रार्थना पत्र दिये गये थे।

साईबर सैल टीम– द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए उपरोक्त पीडित 1–रणवीर के 21 हजार 382 रूपये, 2–एडवोकेट सचिन कुमार के 1250 रूपये, 3–देवेन्द्र सिंह के 01 लाख 18 हजार 500 रूपये, 4–राहुल पुनिया के 30 हजार रूपये, 5–अमित कुमार के 19 हजार 999 रूपये, 6–नीरज कुमार के 46 हजार 870 रूपये, 7–प्रवीण कुमार के 14 हजार 65 रूपये को उनके बैंक खातो में वापस कराये गये है।

साईबर सैल टीम का विवरण :–

1–निरीक्षक राजीव कुमार सक्सैना (प्रभारी साईबर सैल)
2–का0 ललित मोरल
3–का0 रक्षित कुमार

- **थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या की घटना में संलिप्त 25 हजार रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त (साहिल सलमानी) गिरफ्तार।**

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 11.08.2020 को सुबह समय करीब 06:30 बजे थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत **बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री संजय खोखर की गोली मारकर हत्या** कर दी गयी। इस सम्बन्ध में मृतक संजय खोखर के पुत्र मनीष की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 253/2020 धारा 147, 148, 149, 302, 120बी भादवि बनाम 1–नितिन धनकड पुत्र संजय निवासी कस्बा व थाना छपरौली 2–मयंक डालर पुत्र बबलू निवासी ग्राम ककौर 3–विपिन पुत्र रविन्द्र 4–अंकुष षर्मा पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत व दो–तीन व्यक्ति अज्ञात के विरूद्व पंजीकृत किया गया था।

<u>पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, महोदय बागपत के निर्देषन, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं क्षेत्राधिकारी बडौत के नेतृत्व में थाना छपरौली पुलिस व एसओजी टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेषन से आज दिनांक 27.08.2020 को सुबह समय करीब 09:25 बजे मुखबिर की सूचना पर मसकन से श्री संजय खोखर पूर्व जिलाध्यक्ष बीजेपी की हत्या की **घटना में संलिप्त 25 हजार रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त 1–साहिल सलमानी पुत्र अकबर** निवासी कबीर मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरूद्व थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–</u>

1–साहिल सलमानी पुत्र अकबर निवासी कबीर मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत। **(ईनाम 25 हजार रूपये)**

- **एनडीपीएस एक्ट के अर्न्तगत 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक वैगनार कार मय 07 किलोग्राम नषीला पदार्थ गांजा बरामद।**

थाना सिंघावली अहीर–पुलिस द्वारा दिनांक 27.08.2020 को चैकिंग के दौरान हिसावदा पिलाना चौराहे से अभियुक्त एजाज पुत्र ताजमौहम्मद निवासी ग्राम डौला थाना सि0अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक वैगनार कार नम्बर डीएल–5सीएन–7560 मय 04 किलोग्राम नषीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरूद्व थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त एजाज का अपराधिक इतिहास :–

1–मु0अ0स0 377/2017 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
2–मु0अ0स0 06/2018 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
3–मु0अ0स0 96/2017 धारा 188,269,270 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
4–मु0अ0स0 262/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

थाना बडौत–पुलिस द्वारा दिनांक 27.08.2020 को के0एच0आर0 इण्टर कालेज खामपुर के पास से अभियुक्त पवन पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम खामपुर थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 03 किलोग्राम नषीला पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरूद्व थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना दोघट पुलिस द्वारा 48 पव्वे देषी षराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना दोघट–पुलिस द्वारा मनोज पुत्र दरियाव निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 48 पव्वे देषी षराब नाजायज बरामद की गई। अभियुक्त के विरूद्व थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **जनपद बागपत पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना बडौत–पुलिस द्वारा छपरौली चुंगी से मु0अ0स0 460/2020 धारा 307,504 भादवि में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र बिच्छू उर्फ ओमपाल निवासी पटटी गोपी बावली थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है।

थाना चांदीनगर–पुलिस द्वारा ग्राम खटटा प्रहलादपुर से मु0अ0स0 137/2020 धारा 452,354,323,506 भादवि में वांछित अभियुक्त सचिन उर्फ अरूण पुत्र मुकेष निवासी ग्राम खटटा प्रहलादपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है।